

फार्म संख्या-111

फर्द अहकाम

DO18/18
213/18

नियम-20

अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

बारा

सुमाय चो

बनाम राब क

कस मुकदमा 136 UPK

मिसल नं० DO18/18

सन्

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशिवल्स जज	नम्बर व ता० अहकाम जो इस हुकम की तामीर में जारी हुए
6-7-18	<p>रिफर्ण कोर्ट डेप्टी जज उपस्थित जुन कोर्टमा रिफर्ण कार्य जारी रिफर्ण कोर्ट कोर्ट कार्य डेप्टी जज कोर्ट को उपस्थित कर के हुकम जारी रिफर्ण कार्य जारी हुकम 7/8/18 जारी</p> <p style="text-align: right;">उप खण्ड अधिकारी बारा</p>	7/8/18
7-8-18	<p>उपखण्ड कोर्ट कार्य जारी करी पेपरमा कोर्ट कार्य जारी हुकम जारी पेपरमा कोर्ट कार्य जारी हुकम जारी कोर्ट कार्य जारी हुकम 17-9-18 जारी</p> <p style="text-align: right;">उप खण्ड अधिकारी बारा</p>	
15-10-18	<p>17-9-18 कोर्ट कार्य जारी हुकम जारी कोर्ट कार्य जारी हुकम जारी हुकम जारी कोर्ट कार्य जारी हुकम जारी हुकम जारी</p> <p style="text-align: right;">उप खण्ड अधिकारी बारा</p>	
4-12-18	<p>कोर्ट कार्य जारी हुकम जारी हुकम जारी कोर्ट कार्य जारी हुकम जारी हुकम जारी कोर्ट कार्य जारी हुकम जारी हुकम जारी</p> <p style="text-align: right;">उप खण्ड अधिकारी बारा</p>	

फर्द अहकाम

नियम 20

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, बारां
उनवान

प्रकाशचन्द्र बनाम सरकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

दायरा तिथि :- 06.07.2018

प्रकरण संख्या D018/18

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.05.2025	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। रकबा - कमी पूर्ति के लिए यह वाद प्रस्तुत किया गया है। धारा 136 एल. आर.एक्ट में केवल लिपिकीय अशुद्धियां सही की जा सकती है, किसी भी प्रकार के अधिकारों का सृजन नहीं किया जा सकता है माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय RRT 2015 page 10 तथा माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान के निर्णय RRT 2022(2) page 1864 में थी यही सिद्धांत प्रतिपादित किया कि LRacT की धारा 136 में किसी भी प्रकार के अधिकारों का सृजन नहीं किया जा सकता है।</p> <p>इसलिए हस्तगत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है और प्रार्थी को सलाह दी जाती है कि वह नियमित वाद में आवे सुविधा की दृष्टि से प्रार्थी नियमित वाद में इस पत्रावली को नत्थी करवा सकेगा।</p> <p>निर्णय सरे इजलास पढकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p>	

(बनवारी लाल बैरवा)

उपखण्ड अधिकारी

बारां जिला बारां
उपखण्ड अधिकारी
बारां